

[संसद् के दोनों सदनों के द्वारा पारित रूप में—  
लोक सभा ----- 6 मई, 2015  
राज्य सभा ----- 3 अगस्त, 2016  
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर  
लोक सभा द्वारा सहमति दी गई ----- 8 अगस्त, 2016]

2014 का विधेयक संख्यांक 192-एफ

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंडरेड ट्वन्टी सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

## संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

(संसद् के दोनों सदनों के द्वारा पारित रूप में)

भारत के संविधान का और संशोधन  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ ।

5

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है ।

नए अनुच्छेद 246क का अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 246 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध ।

“246क. (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को और खंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी । 5

(2) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।

**स्पष्टीकरण**--इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट 10 माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे ।”

अनुच्छेद 248 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (1) में “संसद्” शब्द के स्थान पर “अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए, संसद्” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद 249 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड (1) में “समीचीन है कि संसद्” शब्दों के पश्चात् 15 “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 250 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 250 के खंड (1) में, “प्रवर्तन में है” शब्दों के पश्चात् 20 “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 268 का संशोधन ।

6. संविधान के अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, “तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 268क का लोप ।

7. संविधान के अनुच्छेद 268क, जो संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 269 का संशोधन ।

8. संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में, “(1) माल के क्रय” कोष्ठकों, अंक और 25 शब्दों के स्थान पर “(1) अनुच्छेद 269क में यथा उपबंधित के सिवाय, माल के क्रय” कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 269क का अंतःस्थापन ।

9. संविधान के अनुच्छेद 269 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

“269क. (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल 30 और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद् द्वारा, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर उपबंधित किया जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या 35 वाणिज्य के अनुक्रम में माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य को प्रभाजित रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का

